सूर्य की तपिश से बढ़ी गर्मी, अगले 5 दिनों तक लू का प्रकोप

दिन–रात के तापमान में उछाल, उमस भरी गर्मी से छूटा पसीना

(आज समाचार सेवा)

कानपुर, 15 मई। मौसम के बदलते रुख के कारण शुक्रवार सुबह से तेज धूप निकलने से भीषण गर्मी रही। दिन चढ़ने के साथ ही सूर्य की तपिश बढ़ती गईं। जिसके चलते दिनभर उमस भरी भीषण गर्मी रही। तेज धूप निकलने से दोपहर में शहर के पारा में मामूली परिवर्तन होने से अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जबकि रात के पारा में भी तीन डिग्री की वृद्धि होने से न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिन में 4.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं। शाम से रात तक उमस भरी बरकरार रही। सीएसए के मौसम विभाग कहना है कि आगामी दिनों में धूप के साथ तापमान में उतार-चढ़ाव एक से दो डिग्री तक उछाल आयेगा। जिस कारण उमस भरी गर्मी और बढ़ेगी। अगले 5 दिनों तक लू का प्रकोप जारी रहेगा। पिछले एक सप्ताह से मौसम का मिजाज बदला सा नजर आ रहा है, जिसके चलते दिन में तेज धूप के साथ भीषण गर्मी भी पड़ रही है। शुक्रवार

सुबह से तेज धूप के साथ भीषण गर्मी रही। दिन चढ़ने के साथ सूर्य की तपिश और बढ़ गई जिस कारण दिनभर भीषण गर्मी होने के साथ गर्म हवाओं के थपेड़ें भी चलें। तेज धूप निकलने से दोपहर में शहर के पारा में मामूली परिवर्तन होने से अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जबकि रात के पारा में भी तीन डिग्री की वृद्धि होने से न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शाम ढलते ही उसम बरकरार रही। सुबह की आद्रता 75 प्रतिशत और दोपहर की आद्रता 36 प्रतिशत रही है। सीएसए के मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक आगामी दिनों में तेज धूप और बदली के साथ भीषण गर्मी रहेगी। दिन और रात के तापमान में एक से दो डिग्री तक वृद्धि के आसार है। 16 से 20 मई तक लू के थपेड़ें भी चलेंगे।

अधिकतम 39.1 डिग्री, न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस

बनारस एलटीटी का एसी फेल गोविंदपुरी स्टेशन में हंगामा

प्रयागराज से बिना कूलिंग आये यात्री, एक घंटे ट्रेन खड़ी रही

कानपुर, 15 मई। बनारस से वाया प्रयागराज होकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस जा रही स्पेशल ट्रेन के चार कोच के यात्री छह घंटे का सफर बिना एसी में करते हुए कानपुर आए। बंद कोच में गर्मी की वजह से पसीने से लतपथ यात्रियों का सब्र गोविंदपुरी स्टेशन पर टूट गया और वह एसी की मरम्मत कराने या कोच बदलने की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारी पहुंचे और आक्रोशित यात्रियों को समझाया कि गोविंदपुरी पर कोच नहीं बदला जा सकता। करीब एक घंटे देरी से ट्रेन रवाना हो सकी। ट्रेन नंबर 01074 बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन शुक्रवार सुबह पांच बजे रवाना हुई। प्रयागराज पहुंचने से पहले ट्रेन के बी-1 से लेकर बी-4 तक के कोच में कूलिंग न होने की शिकायत यात्रियों ने अटेंडेंट से की। रास्ते में ट्रेन लेट होती चली गई और गोविंदपुरी डेढ़ बजे की जगह करीब 03.55 बजे पहुंची। करीब छह घंटे तक इन कोचों के यात्री बिना एसी के गर्मी में तड़पते हुए कानपुर तक पहुंचे। गोविंदपुरी स्टेशन पर यात्री कोच से उतर कर हंगामा करने लगे। जानकारी मिलने पर आरपीएफ, जीआरपी के जवान पहुंचे। यात्रियों ने बताया कि इतनी गर्मी में बंद कोच में वह लोग परेशान हो गए। या तो एसी की मरम्मत की जाए या फिर नया कोच लगाकर ट्रेन रवाना की जाए। जानकारी मिलने पर डिप्टी सीओएम आकांशु गोविल, एसीएम पवन कुमार सहित अन्य अधिकारी पहुंचे और किसी तरह आक्रोशित यात्रियों को शांत कराया। इसके बाद ट्रेन करीब एक घंटा देरी से 04.51 बजे गोविंदपुरी से रवाना हो सकी। एसीएम सेन्ट्रल स्टेशन पवन कुमार ने बताया कि प्रयागराज से पहले ही एसी कूलिंग नहीं कर रहा था। गोविंदपुरी पर मरम्मत कर दी गई और गति पकड़ने पर कूलिंग होने लगेगी। ट्रेन के झांसी पहुंचने पर मैकेनिकल टीम इसे देखेगी।

गोविन्दपुरी स्टेशन में शिकायत करते यात्री।

वार्ड ब्वॉय हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

खाते का पासवर्ड नहीं बताने पर गला घोंटकर मार डाला

कानपुर, 15 मई। शुक्रवार को चकेरी पुलिस ने वार्ड ब्वॉय अंकित त्रिवेदी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी सत्यम मिश्रा को उन्नाव जनपद के बांगरमऊ से दबोचा। चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि 17 अप्रैल 2026 को चकेरी निवासी विष्णुचंद्र त्रिवेदी ने अपने 37 वर्षीय बेटे अंकित त्रिवेदी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अंकित त्रिवेदी बाराबंकी के सिद्धौर ब्लॉक स्थित प्राथमिक चिकित्सालय में वार्ड ब्वॉय के पद पर कार्यरत था। 16 अप्रैल की शाम को वह ड्यूटी से लौटने के बाद अपनी पत्नी को बताया था कि वह दोस्त के साथ फतेहपुर जा रहा है। वह अपनी कार से फतेहपुर जाने के लिए तो लेकिन वापस नहीं लौटा। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान अंकित की कार फतेहपुर के हथगांव में लावारिश हालात में बरामद हुयी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर मामले का खुलासा तो कर दिया था। लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हो गया था।

पुलिस गिरफ्त में मुख्य हत्यारोपी सत्यम मिश्रा।

रुपयों के लालच में की थी दोस्त की हत्या

कानपुर। पुलिस की पूछताछ में आरोपी सत्यम मिश्रा ने बताया कि अंकित उसका दोस्त था। सरकारी नौकरी में होने के कारण उसके खाते में लाखों रुपये थे। उसने बताया कि उसके रुपये हड़पने के लिए साजिश रची और उसे बहाने से फतेहपुर ले गये। लघुशंका के बहाने कार को सुनसान जगह पर रुकवाई और उसके हाथ-पैर बांधकर उससे खाते का पासवर्ड पूछा। नहीं बताने पर चारों ने मिलकर गला घोंटकर मार डाला और शव को बोरे में भरकर सुल्तानघोष के पास गंगा पुल से फेंक दिया।

रीलबाज दरोगा पर युवक से मारपीट करने का आरोप, हंगामा

दुकानदारों ने दुकाने बंद कर दोषी पुलिस कर्मी पर कारवाई की मांग की

कानपुर, 15 मई। रामनारायण बाजार में इलेक्ट्रिक दुकान में काम करने वाले युवक ने पटकापुर चौकी इंचार्ज पर मारपीट करने का आरोप लगाया। चोरी करने के शक में पुलिस का मुखबिर युवक को बहाने से चौकी ले गया, जहां रीलबाज चौकी इंचार्ज ने युवक के गालों पर एकाएक कई थप्पड़ जड़े फिर उंगलियों में सूजा फंसाकर थर्ड डिग्री तक दी। इतना ही नहीं युवक से मारपीट की सूचना पर शुक्रवार को गुस्साए दुकानदारों ने दुकानें बंदकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों पर कारवाई की मांग की। कुरसवां निवासी कमल कश्यप उर्फ चौपट रामनारायण बाजार स्थित मधु इलेक्ट्रानिक व साउंड सिस्टम की दुकान में काम करता है। कमल ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 4 बजे मोहे में रहने वाले मुखबिर का दोस्त कुछ सामान उठवाने के बहाने पटकापुर चौकी ले गया, जहां चौकी इंचार्ज ने चोरी करने के शक में पूछताछ की। आरोप है कि इनकार करने पर चौकी इंचार्ज करीब दोनों गालों पर करीब 15 तमाचे मारे। गिड़गिड़ाने पर उंगलियों के बीच सूजा फंसा दिया फिर हाथ को जमीन में रख पैरों से उंगलियां दबाने लगा। इतना ही नहीं इस दौरान पुलिस का मुखबिर व उसका दोस्त रीलबाज चौकी इंचार्ज को उकसाते रहे। चौकी में कमल के होने की जानकारी पर व्यापारी पहुंचे, जहां उसका सीसीटीवी फुटेज मांगने पर करीब तीन घंटे बाद छोड़ा। वहीं, इससे गुस्साए व्यापारियों ने शुक्रवार सुबह अपनी दुकानें बंद कर दी। आक्रोशित व्यापारियों ने दरोगा के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर जमकर नारेबाजी की। हंगामे की सूचना पर पहुंची फीलखाना पुलिस फोर्स ने जांच कर दोषियों पर कारवाई का आश्वासन देकर जैसे-तैसे आक्रोशित दुकानदारों को शांत कराया।

कार सवार युवक और युवतियों ने ऑटो चालक का सिर फोड़ा

कानपुर, 15 मई। बाबूपुरवा थानाक्षेत्र में मामूली टक्कर पर कार सवार युवक और युवतियों ने ई-आटो चालक को पीटकर सिर फोड़ दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक युवती को हिरासत में लिया है,जबकि अन्य कार लेकर मौके से भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को लेकर थाने आ गयी। बगाही निवासी प्रशांत ने बताया कि वह ई-आटो चलाते है। प्रशांत ने बताया कि वह मारबल मार्केट स्थित अवध मारबल में पत्थर उतार रहा था। इसी दौरान पास में एक कार वहां पहुंची। उसमें सवार युवक और युवतियों के उतरने के दौरान कार का दरवाजा उसकी आटो से टकरा गया। इस पर उल्टा ही कार सवार युवक उससे भिड़ गया। आरोप है कि विरोध पर युवक और युवतियों ने मारपीट की। इस दौरान एक युवक ने ईट उठाकर उसके सिर पर दे मारा,जिससे वह लहूलुहान हो गया। ई-आटो चालक का आरोप है कि सभी शराब के नशे में थे। बाबूपुरवा थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया।

जाजमऊ से स्कूल निकली छात्रा लापता, मचा हड़कम्प

सीसीटीवी से मिला सुराग, सेन्ट्रल स्टेशन से पहुंच गई थी प्रयागराज

दहशत में बरामद छात्राएं, पुलिस कर रही मामले की जांच

कानपुर, 15 मई। जाजमऊ थानाक्षेत्र के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा-7 की चार छात्राएं शुक्रवार को लापता हो जाने से हड़कम्प मच गया। घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। मामला चार छात्राओं का होने पर पुलिस हरकत में आ गई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर स्कूल से निकलने के बाद वह सीधे कानपुर सेंट्रल स्टेशन जाते दिखी। इसके बाद जम्मू तवी एक्सप्रेस के आगे गेट से चढ़ी और पीछे से उतर गई। इसके बाद चारों कालका एक्सप्रेस में सवार हो गई है। पुलिस ने कानपुर सेंट्रल से प्रयागराज स्टेशन तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले है। छात्राएं घर से स्कूल के बैग में कपड़े और रुपये लेकर निकली है। डिफेंस कॉलोनी स्थित एक निजी स्कूल की सभी छात्राएं है। एक छात्रा की मां ने बताया कि वह रोजाना की तरह उनके पति बेटी को 7.15 बजे स्कूल छोड़ने जाते थे। वह रोजाना स्कूल से लेने जाती थी। जब वह 1.30 बजे छुट्टी के दौरान बेटी को लेने गई थी। उससे पहले उनकी बेटी तीन छात्राओं के साथ जा चुकी थी। चारों छात्राओं ने स्कूल से निकलने के बाद वह ई रिक्शा किया। जहां से वह कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची। इसके बाद करीब 2.20 पर जम्मू तवी ट्रेन में आगे की तरफ से चढ़ी और पीछे से उतर गई। इसके बाद कालका एक्सप्रेस में बैठकर प्रयागराज की तरफ निकल गई। चारों छात्राएं कानपुर सेंट्रल स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जाजमऊ और आरपीएफ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से चारों छात्रों की तलाश शुरू की थी। एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि देर रात प्रयागराज स्टेशन से चारों छात्राओं को बरामद कर लिया गया है। पुलिस की टीमें शहर लेकर लौट रही है।

बैग में रखे थे कपड़े

कानपुर। पुलिस के मुताबिक चारों छात्राओं ने भागने की तैयारी पहले से ही बना ली थी। तभी चारों छात्राओं ने स्कूली बैग में कापी किताबों की जगह घर से कपड़े लेकर आई थी। इसमें एक छात्रा 2500 रुपये लेकर आई थी। जबकि अन्य तीन छात्राएं भी पैसे लेकर आई थी। आरपीएफ पुलिस के मुताबिक चारों छात्राएं कानपुर से उन्नाव जाते दिखी थी। उन्नाव में रहने वाले रिश्तेदार पहले ही उन्नाव स्टेशन पहुंच गए थे। हालांकि उन्नाव में छात्राएं नहीं मिली थी।

इलेक्ट्रिक काम्पैक्ट ट्रैक्टर बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की

आईआईटी के इनोवेशन में स्कैनैक्स्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज ने बनाया स्वदेशी ट्रैक्टर

(आज समाचार सेवा)

कानपुर, 15 मई। आईआईटी के एसआईआईसी ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। संस्थान की इंक्यूबेटड कंपनी स्कैनैक्स्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज ने स्वदेशी इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर बनाकर बजारा में उतारने की तैयारी कर ली है। भारत में पहली बार स्वदेशी तकनीक पर आधारित कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाकर तकनीक हस्तांतरण के लिए एमओयू भी साइन कर लिया। यह एमओयू विज्ञान टेक 2026 में दिल्ली में किया गया था। 90 प्रतिशत से ज्यादा स्वदेशी तकनीक पर यह कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर बनाया गया है। छोटे व सीमांत किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस ट्रैक्टर की डिजाइन बनाई गई थी। यह तकनीक छोटे किसानों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। अहम बात यह है कि यह ट्रैक्टर ऐसे समय बाजार में उतारने की तैयारी चल रही ह जब पीएम मोदी देश से पेट्रोलियम पदार्थ बचाने की अपील कर रहे हैं। इस तकनीक से निश्चिततौर पर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजूबती मिलेगी। देश में वर्तमान समय मे करीब 86 प्रतिशत छोटे व सीमांत किसान हैं। इन किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है। इस ट्रैक्टर की तकनीक ऐसी होगी जब किसान चाहेगा तो खेत जोत सकता है जब जरूरत पड़ेगी तो वह इसके माध्यम से पानी का पंप भी चला लेगा। ग्रीन एनर्जी के साथ यह ट्रैक्टर बाजार में छा जायेगा।स्कैनैक्स्ट की टीम ने कहा कि छोटे व सीमांत किसानों के लिए हमने यह ट्रैक्टर डिजाइन किया है। किसानों को उन्नत टिकाऊ और किफायदी दरों पर यह ट्रैक्टर उपलब्ध होगा। स्मार्ट कॉम्पैक्ट ईवी ट्रैक्टर खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी लायेगा। ग्रामीण भारत में हरित रोजगार सृजित करेगा। यह पहल देश के कृषि मशीनीकरण क्षेत्र में एक नई शुरूआत करेगी।

विज्ञान टेक दिल्ली में आईआईटी का काम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की टीम।

ट्रैक्टर की तकनीक हास्तांरण के लिए सीएसआईआर सीएमईआरआई व एनआरडीसी ने एमओयू किया

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक
ऑफिस काम्पलेक्स केशवपुरम्, कल्यानपुर, कानपुर

सर्वसाधारण सूचनाः– उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की योजना संख्या-3, कानपुर में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या 4259 श्रीमती सरला कुमारी पत्नी स्व0 नरेन्द्र सिंह गौर के पक्ष में आवंटित है। आवंटी द्वारा उक्त भवन का फी होल्ड विक्रय विलेख परिषद से दिनांक 13.10. 2004 को निष्पादित कराकर उक्त भवन का विक्रय दिनांक 20.02.2020 को श्री ब्रजमोहन मिश्रा पुत्र कृष्ण मोहन मिश्रा के पक्ष में कर दिया गया।श्रीमती सविता मिश्रा पत्नी स्व0 ब्रजमोहन मिश्रा ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक शून्य द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनके पति श्री ब्रजमोहन मिश्रा की मृत्यु दिनांक 24.09.2020 को हो गयी है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए उक्त भवन का नामान्तरण अपने पक्ष में किये जाने का अनुरोध किया गया है। उप जिलाधिकारी सदर कानपुर नगर द्वारा निर्गत परिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र में मृतक के परियार में श्रीमती सविता मिश्रा (पत्नी) एवं कु0 सान्वी (पुत्री) पारिवारिक सदस्य है।अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि सन्दर्भित सम्पत्ति संख्या भवन संख्या 4259 को श्रीमती सरला कुमारी पत्नी स्व0 नरेन्द्र सिंह गौर से विकयोपरान्त/मृत्योपरान्त श्रीमती सविता मिश्रा पत्नी स्व0 ब्रजमोहन मिश्रा के पक्ष में नामान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति है, तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर साक्ष्य सहित अपना आपत्ति पत्र कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स कल्यानपुर, कानपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा उक्त अवधि के पश्चात दावा कर्ता श्रीमती सविता मिश्रा पत्नी स्व0 ब्रजमोहन मिश्रा के पक्ष में नामान्तरण कर दिया जायेगा। जिसके लिये परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।(आनन्द कुमार) सम्पत्ति प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक
योजना संख्या–1/3, कल्यानपुर, कानपुर

सर्वसाधारण सूचनाः– उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की केशवपुरम् योजना संख्या-01 कानपुर में स्थित भवन संख्या जी-1451 (एच.आई.जी.) श्री आशा राम पुत्र श्री हरि किशन सिंह के पक्ष मे आवंटित किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भवन का फ्री-होल्ड विक्रय विलेख परिषद से दिनांक 28.06.2003 को निष्पादित करा लिया गया जो उप निबन्धक कानपुर नगर मे दिनांक 28.06.2003 को पंजीकृत है।श्री आशा राम पुत्र श्री हरि किशन सिंह द्वार उक्त भवन का विक्रय श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री जय किशन लाल व श्रीमती नीलू यादव पत्नी श्री सुरजीत सिंह को विक्रय कर दिया। तत्पश्चात श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री जय किशन लाल व श्रीमती नीलू यादव पत्नी श्री सुरजीत सिंह द्वारा उक्त भवन का विक्रय श्री राहुल कुमार शिवहरे पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात श्री राहुल कुमार शिवहरे पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद द्वारा उक्त भवन का विक्रय श्रीमती सौम्या दीक्षित पत्नी श्री पुनीत कुमार दीक्षित के पक्ष मे कर दिया गया, जो उप निबन्धक कानपुर नगर में दिनांक 22.05.2025 को पंजीकृत है। श्रीमती सौम्या दीक्षित पत्नी श्री पुनीत कुमार दीक्षित ने अपने दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र द्वारा अवगत कराया गया है, कि उक्त भवन के विक्रेताओं द्वारा अपना निवास स्थान छोडकर कही अन्यत्र स्थान पर चले जाने के कारण उनके सम्पर्क नहीं होने की दशा में उनसे सम्बन्धित प्रपत्र न प्रस्तुत कर पाने तथा नामान्तरण सम्बन्धी अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये उक्त भवन को अपने नाम पर अन्तरण हेतु अनुरोध किया गया है।अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि यदि सन्दर्भित सम्पत्ति भवन संख्या जी-1451 (एच.आई.जी.) को श्रीमती सौम्या दीक्षित पत्नी श्री पुनीत कुमार दीक्षित के पक्ष में नामान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर साक्ष्य सहित अपना आपत्ति पत्र कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स कल्यानपुर कानपुर मे प्रस्तुत करे, अन्यथा उक्त अवधि के पश्चात दावा कर्ता श्रीमती सौम्या दीक्षित पत्नी श्री पुनीत कुमार दीक्षित के पक्ष में नामान्तरण कर दिया जायेगा, जिसके लिये परिषद उत्तरदायी नही होगा। (आनन्द कुमार) सम्पत्ति प्रबन्धक

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर — आवश्यक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखंड सं० 245, ब्लॉक -वाई -1, स्कीम -2 किदवई नगर कानपुर नगर क्षेत्रफल 200 वर्गगज, भू -प्रयोग आवासीय की लीज डीड कानपुर विकास प्राधिकरण की पूर्ववर्ती संस्था कानपुर नगर महापालिका कानपुर द्वारा दिनांक 14.11.1972 को श्री शिव शंकर लाल पुत्र श्री दुलारे प्रसाद के पक्ष में निष्कादित की गयी। भूखंड के मूल पट्टाधारक श्री शिव शंकर लाल पुत्र श्री दुलारे प्रसाद की मृत्यु दिनांक 01.12.2017 को हो चुकी है। तथा इनकी पत्नी स्व० शान्ती देवी की मृत्यु इनके जीवन काल में हो चुकी है। जिसकी पुष्टि प्रस्तुत किये मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है। जिसके उपरांत मृतक स्व० शिव शंकर लाल के वारिसान श्री संतोष कुमार पुत्र स्व० शिव शंकर लाल द्वारा पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र,मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र व सहमति शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए भूखंड का नामांतरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। कार्यालय उप जिलाधिकारी उन्नाव के पत्र सं०-6637/प०- जी० सी० पारिवारिक सदस्यता प्र० पत्र दिनांक- 28.10.2021 के अनुसार मृतक स्व० शिव शंकर लाल के निम्नलिखित पारिवारिक सदस्य है :-
1- श्री संतोष कुमार मृतक का पुत्र उम्र 66 वर्ष 2- श्रीमती मीना देवी मृतक का पुत्री (विवा०) उम्र 60 वर्ष 3- श्रीमती बबली सिंह मृतक का पुत्री (विवा०) उम्र 48 वर्ष। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई पारिवारिक सदस्य तस्दीक नहीं किया गया है। क्रमांक -2 व 3 पर अंकित सदस्यों श्रीमती मीना देवी व श्रीमती बबली सिंह द्वारा क्रमांक-1 पर अंकित सदस्य श्री संतोष कुमार के पक्ष में सहमति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्री संतोष कुमार द्वारा उक्त भूखंड का नामांतरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त भूखंड सं०245 ब्लॉक -वाई -1, स्कीम -2 किदवई नगर कानपुर नगर क्षेत्रफल 200 वर्गगज का पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र ,मृत्यु प्रमाण पत्र,एवं सहमति शपथ पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने में यदि किसी व्यक्ति की कोई आपत्ति हो या कोई अन्य अपना अधिकार रखता हो तो अपने संपूर्ण साक्ष्यों सहित प्रकाशन तिथि से 30 दिन के अंदर लिखित आपत्ति अधोस्तक्षारी के कार्यालय विक्रय जोन -4 में दाखिल कर सकता है, उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र,एवं सहमति शपथ पत्र के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी तथा भविष्य में किसी क्लेम/दावा पर विचार किया जाना संभव न होगा। जोनल प्रभारी अधिकारी (विक्रय जोन -4)

कानपुर विकास प्राधिकरण — आवश्यक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड सं0-543 ब्लाक-बी, पनकी कानपुर, क्षेत्रफल 200 वर्गगज, आवासीय की मूल लीज डीड कानपुर विकास प्राधिकरण की पूर्ववर्ती संस्था कानपुर नगर महापालिका कानपुर द्वारा दिनांक 24.03.1971 को श्री एम0के0 रक्षित पुत्र श्री जे0सी0 रक्षित के पक्ष में निष्पादित की गयी। तदोपरान्त उक्त भूखण्ड के मूल पट्टेदार श्री मानिक कुमार रक्षित पुत्र जे0सी0 रक्षित द्वारा उक्त भूखण्ड के बावत एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 09.11.2022 को श्रीमती बन्या गांगुली पत्नी श्री सितान्शु शेखर एवं श्रीमती तीमा राय पत्नी श्री दीपक राय के पक्ष में निष्पादित की गयी। उक्त भूखण्ड के मूल पट्टेदार/वसीयतकर्ता श्री मानिक कुमार रक्षित की मृत्यु दिनांक 29.03.2026 को हो चुकी है। जिसकी पुष्टि प्रस्तुत किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है। वर्तमान में उक्त प्रभावी वसीयत के आधार पर श्रीमती बन्या गांगुली पत्नी श्री सितान्शु शेखर एवं श्रीमती तीमा राय पत्नी श्री दीपक राय द्वारा पंजीकृत वसीयत की सत्यापित प्रति व शपथपत्र प्रस्तुत करते हुये उक्त भूखण्ड का संयुक्त रूप से नामान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त भूखण्ड सं0-543 ब्लाक-बी, पनकी कानपुर, क्षेत्रफल 200 वर्गगज का पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण श्रीमती बन्या गांगुली पत्नी श्री सितान्शु शेखर एवं श्रीमती तीमा राय पत्नी श्री दीपक राय के पक्ष में किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या कोई अन्य अपना अधिकार रखता हो तो अपने सम्पूर्ण साक्ष्यों सहित प्रकाशन तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित आपत्ति अधोस्ताक्षरी के कार्यालय में दाखिल कर सकता है, उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा नामान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी तथा भविष्य में किसी क्लेम/दावा पर विचार किया जाना सम्भव न होगा।
विशेष कार्याधिकारी (विक्रय जोन-2बी)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
सीसामऊ शाखा : 104/ए/310, पी. रोड, सीसामऊ, कानपुर–208012
मो.: 8601875668, E-mail : sisama@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्ति के बिक्री के लिए विक्रय सूचना "अनुर्गत–IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखे]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के तहत अवल सम्पत्ति की ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण एवं ऋणी(यों) तथा जमानतकर्ता(ओं) को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति/बन्धक/प्रभारयुक्त सम्पत्ति को, जिसे **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में लिया गया है को बैंक के बकाया वसूली के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **"जो है जहाँ है, जो है जैसा है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। ऋणी(यों)/ जमानतकर्ता(ओं) /प्रतिभूति आस्ति/देय/आरक्षित मूल्य/ई–नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (ईएमडी) एवं बिड बढोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है।

ई–नीलामी की तिथि : 22.06.2026 | **ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि : 22.06.2026, दोपहर 2:00 बजे तक**

ऋणियों/ जमानतकर्ताओं का नाम व पता	अचल/चल सम्पत्ति का विवरण ज्ञात अतिक्रमणों सहित यदि कोई हो	कुल बकाया	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि/ बिड बढोत्तरी राशि	कब्जा की स्थिति (सांकेतिक/ भौतिक)	सम्पत्ति निरीक्षण हेतु तिथि एवं समय
बकायेदार : श्री अंकित कनौजिया पुत्र श्री मुन्ना लाल कनौजिया, निवासी : 15/76, बाबा घाट, सिविल लाइन्स, ग्रीन पार्क स्टेडियम, तहसील परगना कानपुर नगर।	**सम्पत्ति :** आवासीय फ्लैट सं. सी-6/10, हिमालय सुलभ रेजीडेन्स (द्वितीय तल) शताब्दी नगर, फेज-4बी, (पनकी गंगागंज) सुलभ आवास योजना टाइप-1, कानपुर नगर श्री अंकित कनौजिया पुत्र श्री मुन्ना लाल कनौजिया के नाम, **क्षेत्रफल :** कवर्ड एरिया 61.25 वर्गमीटर एवं अविभाज्य भूमि में हिस्सा 22.50 वर्गमीटर, **चौहद्दी : उत्तर :** फ्लैट सं. सी-6/11, **दक्षिण :** फ्लैट सं. सी-7, **पूरबः** फ्लैट सं. सी-6/9, **पश्चिमः** खुली जगह।	₹ 21,82,572.94 दिनांक 10.05.2026 तक + अन्य खर्चे एवं व्यय	22.06.2026 दोपहर 2.00 से सायंकाल 6.00 तक	₹ 24,28,000/- (आरक्षित मूल्य) ₹ 2,42,800/- (अग्रिम धनराशि) ₹ 10,000/- (बिड बढोत्तरी राशि)	सांकेतिक	18.05.2026 से 20.06.2026 प्रातः 10.00 से सायंकाल 4.00 तक

बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिये कृपया निम्नलिखित लिंक का अवलोकन करें :–https://www.bankofbaroda.in/e-auction एवं ऑनलाइन निविदा पोर्टल https://baanknet.com तथा इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाइल नं. 8601875668 से सम्पर्क करें

दिनांक : 15.05.2026 स्थान : कानपुर प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

केनरा बैंक Canara Bank — भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking — **अधिग्रहण सूचना**

क्षेत्रीय कार्यालय-एचआईजी18, चंद्र विहार, लखनपुर, कानपुर-208002, दूरभाष:0512-2583225

कब्ज़ा नोटिस (धारा 13(4)
(अचल संपत्ति के लिए)

जैसाकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) के तहत **केनरा बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक डिमांड नोटिस जारी कर उधारकर्ता को नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए सूचित किया गया था। उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण, **उधारकर्ता और आम जनता** को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्ज़ा ले लिया है। जमानती परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को आगाह किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किया गया कोई भी लेन-देन **केनरा बैंक** की बकाया राशि और उस पर ब्याज के अधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणी/जमानतदारों का नाम व पता एवं बकाया धनराशि	डिमाण्ड सूचना की तिथि / अधिग्रहण सूचना की तिथि	अचल सम्पत्ति का विवरण
	शाखा:-कानपुर बर्रा - II		
1.	**ऋणी और बंधककर्ता- श्री अभिषेक सक्सेना** पुत्र श्री महेश चंद्र सक्सेना पता: 1060, ग्राउंड फ्लोर, R.N. योजना-2, रतन लाल नगर, उद्योग नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208022 **सह-ऋणी- श्रीमती श्वेता सक्सेना** पत्नी श्री अभिषेक सक्सेना **पता 1:** 1060, ग्राउंड फ्लोर, R.N. योजना-2, रतन लाल नगर, उद्योग नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208022 **पता 2:** L-19, इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट, रतन लाल नगर, कानपुर, दबौली केशा रोड, उद्योग नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208022 **दिनांक 06.03.2026 तक बकाया राशि रु. 20,05,433.43/-** अग्रिम ब्याज, लागत एवं खर्चे (-) वसूली, यदि कोई हो	06.03.2026 / 11.05.2026	सम्पत्ति का सभी भाग एवं खण्ड भवन का भूतल जोकि मकान संख्या 1060 का दक्षिणी भाग, ब्लॉक R.N., योजना संख्या 2, रतन लाल नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में श्री अभिषेक सक्सेना, पुत्र श्री महेश चंद्र सक्सेना के नाम से स्थित है। जिसका कवर्ड एरिया 53.70 वर्ग मीटर भूमि का अविभाजित एवं आनुपातिक क्षेत्रफल 13.425 वर्ग मीटर **संपत्ति (फ्लैट) की चौहद्दी:- (सेल डीड के अनुसार) पूरब-** पार्किंग स्थल, सीढ़ियाँ और उसके बाद प्लॉट संख्या 1062 **पश्चिम-** 40 फीट चौड़ी सरकारी सड़क **उत्तर-** परिसर संख्या 1060 का जुज भाग, और उसके बाद प्लॉट संख्या 1059 **दक्षिण -** 60 फीट चौड़ी सरकारी सड़क

दिनांक- 16.05.2026 स्थानः- कानपुर प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक